संख्या: 1238/33-3-2015-03/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2015

विषय: पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015, दिनांक-19.06.2015 मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-866/33-2-14-93जी/ 2014 टी0सी0, दिनांक 24 जून, 2014 एवं शासनादेश संख्या-8307/33-2-2004-93जी /2004, दिनांक-12.01.2005 निर्गत किये गये थे।

2- उल्लेखनीय है कि "प्रदेश की जिला पंचायतों एवं अन्य पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि जिला पंचायतों द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं, जिससे डुप्लीकेसी की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सब्सीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय।"

विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से पंचायतों द्वारा विकास कार्य सम्पादित किये जायें, जो पंचायतीराज अधिनियम-1947 व क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम-1961 के प्राविधानों के अनुरूप हों। अतः त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:-

1. ग्राम पंचायत को जो धनराशि/अनुदान निर्माण कार्यो के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जाय।
2. क्षेत्र पंचायतो को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय।
3. जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यो को सम्पादित करायेंगी।
4. ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख–रखाव को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अद्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों यथा–पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गो, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसमपत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होंगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा बिना सक्षम अनुमोदन के कोई कार्य नही कराया जायेगा। नये निर्माण कार्यो में सी0सी0 रोड/खडण्जा/ नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी। आवंटित धनराशि की कार्ययोजना का अनुमोदन निम्नानुसार कराया जायेगा:–

(क) रू0 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना को टुकडों में विभाजित नहीं किया जायेगा।

(ख) रू0 50,001 से रू0 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा किया जायेगा।

(ग) रू0 250001 से रू0 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(घ) रू0 500001 से ऊपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा

परन्तु प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पं0) कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं0) की होगी।

5. बिन्दु–4 के उप बिन्दु ग एवं घ से सम्बन्धित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।
6. क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशुचिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यो/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यो पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतो द्वारा कराये जाने वाले कार्यो को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन का अनुमोदन एवं

कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

7. जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रू0 10.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप में अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय तथा निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0,लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज विभाग,उ0प्र0।
7. समस्त सहायक विकास अधिकारी(प0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।